न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या –20/2021 आरसीएमएस नं0 – 2021/91

1. रामनाथ पुत्र श्री जौहरी, 2. देवेन्द्र 3. राजीव पुत्रगण रामनाथ
जातिगण ब्राम्हण निवासीगण ग्राम औडैला तहसील व जिला धौलपुर

—————————प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार धौलपुर

—————————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 129 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः–

श्री अमित उपाध्याय एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से

दिनांकः– 31.01.2025

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से विवादित आराजी ख.नं. 100, 101, 102, 68, 69, 70,71, 72, 80, 81,82, 84, 85, 86, 87, 91, 92 कुल किता 21 बांके ग्राम ताल औडैला तहसील व जिला धौलपुर तथा खसरा नम्बर 386, 653/67, 654/83, 657/88 कुल किता 4 बांके ग्राम ताल औडेला तहसील व जिला धौलपुर का पत्थरगढी कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार धौलपुर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धौलपुर ने उनकी रिपोर्ट दिनांक 28.11.2024 में प्रकरण में विवादित आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड होना बताई है तथा उक्त ख.नं. की पूर्व में पैमाईश नही हुई है मौके पर फसल खडी होना बताया तथा नम्बरान पर विवाद की स्थिति बनी रहती है, अगवत कराया है।

प्रार्थना पर पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि तहसीलदार धौलपुर ने रिपोर्ट में वर्तमान में मौके पर फसल खडी होना तथा विवाद होना बताया है, सही है। इसलिए जब फसल कट जाए तब खेत खाली होने पर पैमाईश की जाकर पत्थरगढी करवा दी जावे।

वकील प्रार्थीगण को सुनने एंव पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त प्रकरण में विवादित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी की आराजी की पैमाईश व पत्थरगढी कराये जाने का पूर्ण अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश है कि तहसीलदार धौलपुर प्रकरण में विवादित आराजी खाली होने पर प्रार्थीगण की ओर से पैमाईश हेतु आवेदन करने पर नियमानुसार पैमाईश कराई जाकर पत्थरगढी की नियमानुसार कार्यवाही करें। परवाना तहसीलदार धौलपुर को जारी कर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)